

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, मुमरी (गिरिडीह)

मात्र संख्या 155/2020

धारा 107 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस

दिल मोहम्मद वगै.

वनाम

मो. जाहुर अंसारी वगै.

18-12-20
08-01-21
22-01-21
05-02-21
19-02-21
05-03-21
19-03-21

स्थानीय पुलिस थाना: निमियोघाट से प्राप्त प्रतिवेदन, जिनसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अपराधित किया गया है, को अवलोकन से प्रतीत होता है कि

उभय पक्षों के बीच लम्बीन विवाद को लेकर झगड़ा-झंझट, माली-मलीज होते रहता है, जिससे काफी तनाव है जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तैयार हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्ति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष/विपक्षी सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 18/12/2020 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष -

1	दिल मोहम्मद	उम्र : 65 वर्ष	पिता : स्व. नान्हु गिया
2	जमालुन निशा	उम्र : 60 वर्ष	पति : दिल मोहम्मद

सभी ग्राम: ठाकुरचक, थाना: निमियोघाट, जिला: गिरिडीह।

- बनाव -

द्वितीय पक्ष -

1	मो० जाहुर अंसारी	उम्र : 45 वर्ष	पिता : दिल मोहम्मद
2	मो० अयुब अंसारी	उम्र : 43 वर्ष	पिता : दिल मोहम्मद
3	मो० शोएब अंसारी	उम्र : 38 वर्ष	पिता : दिल मोहम्मद
4	मो० शमशेर अंसारी	उम्र : 33 वर्ष	पिता : दिल मोहम्मद

सभी ग्राम: ठाकुरचक, थाना: निमियोघाट, जिला: गिरिडीह।

लेखापित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
मुमरी।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
मुमरी।

18-12-20

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। नोटिस ताम्रिजा अप्राप्त। अभिलेख दि० 08.01.21 को उपस्थापित करें।

18-12-20
अनु० दण्डा
मुमरी।

08-01-21

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित क्र० सं० 1, अभिलेख दि० 22.01.21 को उपस्थापित करें।

08.01
अनु० दण्डा
मुमरी।

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 155/2020-21

दिल मोहम्मद वगै. -बनाम- मो० जहूर अंसारी वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 107)

1 का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं तिथि
24-05-2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। निमियाँघाट थाना अप्राथमिकी संख्या 77/2020 दिनांक 11.11.2020 द्वारा केवल द्वितीय पक्ष के सदस्यों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>निर्गत नोटिस के आलोक में द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए।</p> <p>निमियाँघाट थाना से वर्तमान तिथि तक उभय पक्षों के बीच परिशांति भंग होने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है।</p> <p>अतः उभय पक्ष के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/-रू. के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में कार्यवाही अवधि की अंतिम तिथि है अतएव कालअवधि बाधित होने के कारण प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित 24.05.2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।</p>	अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी। 24.05.2021